

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:- 07/2025

Ucms सं.- 2025/395

--: आदेश :-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी धारणा व भू.अ.नि धारणा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक, पेन कार्ड, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, सरपंच ग्राम धारणा की रिपोर्ट, पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाना की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार सिवाना को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	ताण्डाबेरा	96, 142, 233, 101, 103, 104, 125,	लाला पुत्र पूनमा	चौथाराम उर्फ लाला पुत्र पूनमाराम
		8	लालाराम पुत्र पुनमाराम	चौथाराम उर्फ लालाराम पुत्र पूनमाराम

(सुरेन्द्र सिंह खंमारोड)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक- /राजस्व/ ग्रा.से.शिविर/ 2025 /1576

दिनांक:- 27-09-2025

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार सिवाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी चौथाराम पुत्र पूनमाराम जाति रबारी निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रावाली।



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

